न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 04/21 निर्णय दिनांकः–11-03-2025
(जीसीएमएस नम्बर 2021/17)

1. भंवरी देवी पत्नी रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. जगदीश पुत्र रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. बेबी देवी पुत्री रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. ललिता पुत्री रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. शारदा देवी पत्नी श्रीगोपाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. सुरेन्द्र पुत्र श्रीगोपाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. नवरंगी पुत्री श्रीगोपाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. बुधराम पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. मांगीलाल पुत्र शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. निरमा पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. भगवती पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. रामप्यारी पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. सीता पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. रामेश्वरलाल पुत्र भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. समा देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. गोमती देवी पत्नी शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
11. सरस्वती देवी पत्नी शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
12. आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
13. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

14. रवीन्द्र पुत्र श्रीगोपाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

गौण रेस्पोडेन्ट

अपील संख्याः 03/21 **निर्णय दिनांकः–**
(जीसीएमएस नम्बर 2021/19)

1. बुधराम पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. सरस्वती देवी पत्नी शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी अंबेडकर सर्किल के पास तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. भंवरी देवी पत्नी रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. जगदीश पुत्र रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. बेबी देवी पुत्री रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. ललिता पुत्री रामकिशन जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. मांगीलाल पुत्र शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. निरमा पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. भगवती पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. रामप्यारी पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. सीता पुत्री शिवरतन पुत्र बक्शाराम उर्फ बगडावत जाति बिश्नोई निवासी तहसील रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
11. रामेश्वरलाल पुत्र भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
12. समा देवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
13. गोमती देवी पत्नी शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी रोडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
15. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।
16. आईसीआईसीआई बैंक शाखा नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2020
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स (अपील संख्या 04/21)
2. श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, अभिभाषक अपीलांट्स (अपील संख्या 03/21)
3. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
4. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2020 जिसके द्वारा अपीलांट्स के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. दोनों अपीलों में निर्धारण हेतु बिन्दु एवं पक्षकार एकसमान होने के कारण दोनों अपील पत्रावलियों का निस्तारण एकसमान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने दोनों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम रोड़ा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1003 रकबा 2.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 349 रकबा 3.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 6.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 16.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 759 रकबा 18.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 979 रकबा 0.13 हैक्टर कुल किता 9 रकबा 47.92 हैक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की भूमि रही है। आराजी जैर के विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित कर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दिया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशन की मृत्यु वादपत्र में निर्णय से पूर्व अर्थात दिनांक 22–09–2020 को हो चुकी थी तथा इस आशय की जानकारी भी अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। वादग्रस्त भूमि पर सभी पक्षकार अपने–अपने हक व हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण वादी द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का विभाजन करने की इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–10–2020 को दावे में वर्णित कब्जे काश्त व दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार वादी के हक व हिस्से तक विभाजन की डिक्री पारित कर दी गई। उक्त डिक्री पारित करते समय भी अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं था। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे काश्त के अनुसार एवं खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय स्वमेव द्वारा मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है जबकि विभाजन के नियम 18 से 21 के तहत सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुरूप ही विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जाने के प्रावधान निहित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या विभाजन के मामलों में विधि सम्मत् व्याख्या नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढ़ंग से आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा कोई आदेश पारित भी करना था तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना चाहिए था। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रकरण में चूंकि आक्षेपित आदेश अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा आक्षेपित आदेश उक मृत व्यक्ति के विरूद्व एवं विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होन से अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1445, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 342, आरआरटी 2007 पार्ट I पेज 554, आरआरटी 2015 पार्ट II पेज 1182 व आरआरडी 1996 पेज 148 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 22–10–2022 को जारी की गई है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट्स का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु के उपरान्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दायरी के उपरान्त रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे, जोकि दिनांक विधिवत तामील होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफ कार्यवाही करते हुए आक्षेतिप आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। चूंकि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित एकतरफा कार्यवााही के विरूद्व रिव्यू प्रार्थना पत्र अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही नहीं करते हुए प्रस्तुत अपील के माध्यम से चाराजोई की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त आशय की आपत्ति अपील के माध्यम से नहीं उठाई जा सकती।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दावा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तथा उसी के अनुरूप कब्जे काश्त के अनुसार व पक्षकारों के धारण की भूमि के संबंध में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया था उसी के अनुसार डिक्री जारी की गई है। अपीलांट्स यदि वादग्रस्त भूमि के विभाजन से किसी प्रकार से व्यथित थे तो ऐसी स्थिति में उन्हें विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपीलें खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–10–2020 के विरूद्व अपीलें क्रमशः दिनांक 21–12–2020 व 04–01–2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मनगढ़त है। अपीलांट्स जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स मियाद के बिन्दु पर कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 1196, आरआरडी 1992 पेज 193 व आरआरडी 1998 पेज 340 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2020 के विरूद्व अपील दिनांक 04–01–2021 को एवं 21–12–2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट् की अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मनगढत है। अपीलांट्स जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स मियाद के बिन्दु पर कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 1196, आरआरडी 1992 पेज 193 व आरआरडी 1998 पेज 340 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2020 के विरूद्व अपील दिनांक 04–01–2021 को एवं 21–12–2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट् की अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली पर मुख्य रूप से मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध एकतरफा तौर पर आदेश पारित किये जाने का कथन किया है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद दिनांक 13–01–2020 को प्रस्तुत किया गया था एवं अपीलांट/रेस्पोडेन्ट रामकिशन की मृत्यु दिनांक 22–09–2020 को हुई है इससे यह साबित होता है कि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट रामकिशन की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय में वाद संस्थापित होने के पश्चात हुई है। जहां तक प्रकरण में एकतरफा आदेश का प्रश्न है इस संबंध में अधीनस्थ पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 17–06–2020 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिनकी रशीदें दिनांक 26–08–2020 को प्रस्तुत की गई। उक्त रशीदों में प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13–07–2020 को प्रेषित किया जाना अंकित है एवं नोटिस प्रेषित होने के करीब 2 माह बाद प्रतिवादी रामकिशन की मृत्यु हुई है जिससे यह कहना उचित नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रसारित किये गये है साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी रामकिशन के वारिसों ने सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 04–01–2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था एवं न्यायालय हाजा में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील भी इसी दिन प्रस्तुत की गई जिससे अपीलांट का न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आना प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर बहस नहीं करते हुए केवल मात्र नोटिस की सम्यक तामील पर बहस समाहित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भी प्रकट होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारों को मौके पर उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अवलोकन से यह साबित होता है कि द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना/रास्ते के प्रावधानों को शामिल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होन शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय को आराजी जैर के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है भी तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी जैर की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपनी आपत्ति पेश करने हेतु स्वतन्त्र है तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में निर्देश दिये जाने उचित पाते है कि यदि अपीलांट् द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री से पूर्व किसी प्रकार की कोइ आपत्ति पेश की जाती है तो सर्वप्रथम उक्त आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2020 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 11-03-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर